2026 का विधेयक संख्यांक 107

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड थर्टी-फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तारीख को प्रवृत्त होगा ।

अनुच्छेद 55 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 55 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 170 के अधीन जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे,, ऐसी जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए है ।'।

अनुच्छेद 81 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 81 में—

(क) खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) लोक सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित आठ सौ पंद्रह से अनधिक सदस्यों; और

(ख) संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चयनित पैंतीस से अनधिक सदस्यों

से मिलकर बनेगी ।";

(ख) खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से, ऐसी जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए है ।'।

अनुच्छेद 82 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 82 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, "प्रत्येक जनगणना के पश्चात्", शब्दों के स्थान पर, "निर्वाचन-क्षेत्रों का" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) "प्रत्येक जनगणना के समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों को आवंटन", शब्दों के स्थान पर, "राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आवंटन" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ग) "ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में और ऐसी जनगणना के आधार पर, जो परिसीमन आयोग द्वारा, " शब्द रखे जाएंगें;

(घ) तीसरे पंरतुक का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 170 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 170 में,—

(क) खंड (1) में, "अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्रत्येक राज्य की विधान सभा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस खंड में, "जनसंख्या" पद से जैसा संसद् विधि

द्वारा अवधारित करे, ऐसी जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए है ।';

(ग) खंड (3) में,—

(i) "प्रत्येक जनगणना के समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या" शब्द रखें जाएंगे ;

(ii) "ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति से और परिसीमन आयोग द्वारा ऐसी जनगणना के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 330 का संशोधन ।

6. संविधान के अनुच्छेद 330 में, खंड (3) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, "जनसंख्या" पद से जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, ऐसी जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए है।'।

अनुच्छेद 332 का संशोधन ।

7. संविधान के अनुच्छेद 332 में, खंड (3क) और खंड (3ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 170 के अधीन स्थानों की संख्या के पुनर्व्यवस्थापन पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैन्ड राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान निम्नलिखित होंगी:—

(क) यदि किसी राज्य की विधान सभा में सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं, तो एक के सिवाय सभी स्थान ;

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से हैं ।

(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 170 के अधीन स्थानों की संख्या के पुनर्व्यवस्थापन पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान, कुल स्थानों की संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की कुल संख्या से है ।"।

अनुच्छेद 334क का प्रतिस्थापन ।

8. संविधान के अनुच्छेद 334क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

"334क. (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के

होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की विधान सभा और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित इस संविधान के उपबंध इस प्रयोजन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे ।

(2) लोक सभा, राज्य की विधान सभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी, जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस अवधि को ऐसे अतिरिक्त समय के लिए न बढ़ा दे जैसा वह इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे ।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी ।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात लोक सभा, राज्य की विधान सभा, आदि में किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की विधान सभा या परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा, तत्कालीन वर्तमान लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 का खंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य को लोक सभा में और विधान सभा में आबंटित स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन:समायोजन किया जाएगा, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे । अनुच्छेद 82 का तीसरा परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) का तीसरा परंतुक, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ें प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक निर्वाचन-क्षेत्रों का नया पुन:समायोजन नहीं होगा ।

2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 1991 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए उपबंध करते समय वर्ष 2026 के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना होने तक, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों के आबंटन को स्थिर करने के लिए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 का संशोधन किया गया ।

3. तत्पश्चात्, संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा लोक सभा या राज्य विधान सभाओं में आबंटित स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना, वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन निर्वाचन-क्षेत्रों सहित जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, के पुन:समायोजन का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 330 का संशोधन किया गया ।

4. यद्यपि, वर्ष 1971 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर स्थानों को स्थिर रखने से एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयोजन की पूर्ति हुई, देश की जनसांख्यिकीय रूपरेखा तब से पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो चुकी है, जैसा कि नवीनतम उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों से दर्शित होता है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर-राज्यिक और अंतरा-राज्यिक जनसंख्या स्थानांतरण, त्वरित शहरीकरण और प्रव्रजन तथा कतिपय क्षेत्रों में असमानुपाती वृद्धि भी है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या और निर्वाचन-क्षेत्र के आकार में व्यापक असमानताएं हो गई हैं ।

5. इसी दौरान, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 (जिसका लोकप्रिय नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है) द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239कक का संशोधन किया गया और अनुच्छेद 330क, अनुच्छेद 332क और अनुच्छेद 334क को अंतःस्थापित किया गया, जिससे लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी हैं) के लिए लगभग एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया जा

सके । उक्त उपबंधों में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसा आरक्षण उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिसीमन के पश्चात् प्रवर्तनीय होगा ।

6. अगली जनगणना और पारिणामिक परिसीमन कार्रवाई में काफी समय लगेगा और इस प्रकार हमारी प्रजातांत्रिक राजनीति में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में विलंब होगा । अत:, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य नवीनतम प्रकाशित जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाने वाली परिसीमन कार्रवाई के माध्यम से लोक सभा और राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं में महिलाओं जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी हैं, के एक-तिहाई आरक्षण, को प्रवर्तनीय बनाना है । अत: महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का कार्यान्वयन लोक सभा और विधान सभाओं में स्थानों के आबंटन के पुन:समायोजन और परिसीमन आयोग द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं के पुन:निर्धारण की संवैधानिक स्कीम से सहबद्ध है ।

7. प्रस्तावित विधेयक, प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को सुगम बनाएगा और लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को प्रवर्तन में लाएगा । यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा । इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशिता में अभिवृद्धि करेगा और विकसित *भारत@2047* के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा ।

8. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 अप्रैल, 2026

अर्जुन राम मेघवाल

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

* * * * *

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।

55. (1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी ।

(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए ;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा ;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी ।

(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

* * * * *

लोक सभा की संरचना।

81. (1) अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए पांच सौ तीस से अनधिक सदस्यों, और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो

संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए बीस से अनधिक सदस्यों],

से मिलकर बनेगी ।

* * * * *

(3) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह,—

(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ; और

(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन ।

82. प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे :

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन,—

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का ; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं,

पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा ।

* * * * *

विधान सभाओं की संरचना।

170. (1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून, सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रतिनिर्देश है ।

(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे :

परंतु ऐसे पुन: समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

परंतु यह और कि ऐसा पुन: समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुन: समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन,—

(i) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित स्थानों की कुल संख्या का ; और

(ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित किए जाएं,

पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा ।

* * * * *

भाग 16

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. (1) * * * *

लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

* * * * *

राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

332. (1) * * * *

(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे—

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से हैं ।

(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है ।

* * * * *

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

334क. (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने

के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा ।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, प्रत्येक पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

* * * * *